

क्रमांक: एफ-26(51)पीएस/निकाशि/80/384

दिनांक: 31-01-2020

आदेश


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित निजी सहायकों को वर्ष 2019-20 की गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नाम के आगे अंकित तिथि से एतद् द्वारा नियमित रूप से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं० एल-12 (L-12) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
1	श्री दिनेश कुमार सक्सैना	राज० महा०, कोटा	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01.04.19
2	श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01.04.19

उक्त में से कम संख्या 01 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


उपर्युक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने अतिरिक्त निजी सचिव पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 07-02-2020 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। किसी कार्मिकों का कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

  
 (प्रदीप कुमार बोसड)  
 आयुक्त,  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.-स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कार्मिकों को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें/संबन्धित कार्मिकों द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को [email-jdadmn.cce@gmail.com](mailto:email-jdadmn.cce@gmail.com) पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा/रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

  
 (डॉ० के० एल० सिराधना)  
 संयुक्त निदेशक(प्रशासन),  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
 जयपुर।